



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-01112023-249834
CG-GJ-E-01112023-249834

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 738]
No. 738]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 31, 2023/कार्तिक 9, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023/KARTIKA 9, 1945

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिसूचना

जामनगर 6 अक्टूबर, 2023

सं. एल-12015/18/2021-एएस.—आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का 16) की धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, केंद्र सरकार के पिछले अनुमोदन से, एतद्वारा आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विनियम, 2021 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन विनियमों को आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान(संशोधन)विनियम, 2023 कहा जाएगा।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विनियम, 2021 (इसमें इसके बाद इसे उक्त विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 2 में,-
 - खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(ख) "उप निदेशक" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (4) के तहत नियुक्त उप निदेशक (स्नातकीय), उप निदेशक (स्नातकोत्तर) और उप निदेशक (फार्मसी) है;'
 - खंड (ट) को विलोपित किया जाएगा।

3. उक्त विनियमों में, विनियम 3 में, तालिका में, क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा।
4. उक्त विनियमों में, विनियम 10 में, उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) वित्तीय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

संस्थान की वित्त समिति		
1.	निदेशक	अध्यक्ष
2.	निदेशक/उप सचिव (संस्थान के मामलों को देखने वाले), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
3.	संस्थान के अध्यक्ष द्वारा नामित शासी निकाय का एक सदस्य	सदस्य
4.	निदेशक/उप सचिव; एकीकृत वित्त प्रभाग (संस्थान के मामलों को देखने वाले), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
5.	सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6.	संस्थान के लेखा प्रमुख	सदस्य सचिव”।

5. उक्त विनियमों में, विनियम 11 में,-

(i) उप-विनियम (1) में, "संस्थान की अकादमिक परिषद" शीर्षक के तहत,-

(क) क्रम संख्या 5 के सामने, "अध्यक्ष" शब्द के लिए, "अध्यक्ष" शब्द ही रखा जाएगा।;

(ख) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“9.	तीन प्रख्यात शिक्षाविद जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य
10.	उप निदेशक (स्नातकोत्तर)	सदस्य
11.	संस्थान के डीन अकादमिक	सदस्य –सचिव”;

(ii) उप-विनियम (6) को उप-विनियम (2) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

6. उक्त विनियमों में, विनियम 12 में, उप-विनियम (1) में, "संस्थान की अनुसंधान समिति (वैज्ञानिक सलाहकार)", शीर्षक के तहत, क्रम संख्या 3 के सामने, "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "निदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
7. उक्त विनियमों में, विनियम 14 में, उप-विनियम (1) में, 'संस्थान की आयोजन और निगरानी समिति' शीर्षक के तहत, -

(क) क्रम संख्या (2) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2.	संस्थान के पांच व्यक्ति जिन्हें निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य”;
-----	--	---------

(ख) क्रम संख्या 3 के सामने, "अध्यक्ष" शब्द के लिए, "निदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. उक्त विनियमों में, विनियम 15 में, उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) परीक्षा नियंत्रण बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

संस्थान का परीक्षा नियंत्रण बोर्ड		
1.	निदेशक	अध्यक्ष
2.	डीन अकादमिक	सदस्य
3.	चार विभागाध्यक्ष जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य
4.	उप निदेशक (स्नातकीय)	सदस्य
5.	उप निदेशक (फार्मैसी)	सदस्य
6.	उप निदेशक (स्नातकोत्तर)	सदस्य
7.	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य सचिव”।

9. उक्त विनियमों में, विनियम 16 में, उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) अस्पताल प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

संस्थान की अस्पताल प्रबंधन समिति		
1.	निदेशक	अध्यक्ष
2.	संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
3.	संस्थान के उप चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य
4.	संस्थान के प्रत्येक नैदानिक विभाग के प्रमुख	सदस्य
5.	संस्थान के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर	सदस्य सचिव”।

10. उक्त विनियमों में, विनियम 17 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“17. जांच-सह-चयन समिति और कर्मचारी चयन समितियां. -(1) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद के लिए जांच-सह-चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

1.	सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	संस्थान को देख रहे विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
3.	दो विषय विशेषज्ञ जिन्हें सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य

(2) समूह -'क', प्रोफेसर और उप निदेशक के पदों के लिए कर्मचारी चयन समिति (सीधी भर्ती और कैरियर प्रोन्नयन स्कीम पदोन्नति पर विचार करने के लिए), में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

1.	सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	संबंधित विषय के विख्यात शिक्षाविदों में से दो विशेषज्ञ जिन्हें सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य

3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग पर्यवेक्षक जिसे भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य
4.	निदेशक, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सदस्य सचिव

(3) उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट पद के अलावा समूह-क, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पद की पदोन्नति के लिए कर्मचारी चयन समिति (सीधी भर्ती और कैरियर प्रोन्नयन स्कीम पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

“1.	निदेशक, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	अध्यक्ष
2.	संबंधित विषय के प्रख्यात शिक्षाविदों में से एक विशेषज्ञ जिसे सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य
3.	सलाहकार (आयुर्वेद), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
4.	भारत सरकार द्वारा नामित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित पर्यवेक्षक	सदस्य
5.	उप निदेशक (स्नातकोत्तर)	सदस्य सचिव”.

11. उक्त विनियमों में, विनियम 18 में, आरंभिक भाग के लिए, निम्नलिखित आरंभिक भाग प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“निदेशक, विभागाध्यक्ष होगा और शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-”.

12. उक्त विनियमों में, विनियम 30 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“30.पेंशन और भविष्य निधि - केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 लागू होगा।”.

13. उक्त विनियमों में, विनियम 34 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“34.चिकित्सा सुविधाएं - केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर) नियम, 1944 लागू होगा।”.

प्रोफे. (डॉ.) अनूप ठाकर, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./520/2023-24]

टिप्पणी – मूल विनियमों को दिनांक 10 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना सं. एल-12015/18/2021-एस द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4 में प्रकाशित किए गए थे।

INSTITUTE OF TEACHING AND RESEARCH IN AYURVEDA

NOTIFICATION

Jamnagar, the 6th October, 2023

No. L-12015/18/2021-AS.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020 (16 of 2020), the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Regulations, 2021, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These regulations may be called the Institute of Teaching and Research in Ayurveda (Amendment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Regulations, 2021 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2,-
(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
‘(b) “Deputy Director” means the Deputy Director (Under graduate), Deputy Director (Post graduate) and Deputy Director (Pharmacy) appointed under sub-section (4) of section 11 of the Act;’
(ii) clause (k) shall be omitted.
3. In the said regulations, in regulation 3, in the Table, serial number 8 and the entries relating thereto shall be omitted.
4. In the said regulations, in regulation 10, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) The Financial Committee shall consist of the following members, namely:-

FINANCE COMMITTEE OF INSTITUTE		
1.	Director	Chairperson
2.	Director/Deputy Secretary (dealing with the matter of Institute), Ministry of Ayush, Government of India	Member
3.	A Member of the Governing Body nominated by the President of the Institute	Member
4.	Director/Deputy Secretary; Integrated Finance Division, (dealing with the matter of Institute), Ministry of Ayush, Government of India	Member
5.	Adviser (Ayurveda), Ministry of Ayush, Government of India	Member
6.	Head of Accounts of the Institute	Member Secretary”.

5. In the said regulations, in regulation 11,-
(i) in sub-regulation (1), under heading, “THE ACADEMIC COUNCIL OF INSTITUTE”,-
(a) against serial number 5, for the word, “President”, the word, “Chairperson”, shall be substituted;
(b) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

“9.	Three renowned educationists to be nominated by Chairperson.	Member
10.	Deputy Director (Post Graduate).	Member
11.	The Dean Academic of Institute	Member –Secretary”;

(ii) sub-regulation (6) shall be re-numbered as sub-regulation (2).

6. In the said regulations, in regulation 12, in sub-regulation (1), under heading, “**RESEARCH COMMITTEE (SCIENTIFIC ADVISORY OF INSTITUTE)**”, against serial number 3, for the word, “President”, the word, ‘Director’ shall be substituted.
7. In the said regulations, in regulation 14, in sub-regulation (1), under heading, ‘**PLANNING AND MONITORING COMMITTEE OF THE INSTITUTE**’,-
(a) for serial number (2) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“2.	Five persons from the Institute to be nominated by the Director	Member”;
-----	---	----------

(b) against serial number 3, for the word, “President”, the word “Director” shall be substituted.

8. In the said regulations, in regulation 15, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) The Examination Control Board shall consist of the following members, namely:-

EXAMINATION CONTROL BOARD OF THE INSTITUTE		
1.	The Director	Chairperson
2.	The Dean Academic	Member
3.	Four Heads of the Department to be nominated by the President	Members
4.	Deputy Director (Under-Graduate)	Member
5.	Deputy Director (Pharmacy)	Member
6.	Deputy Director (Post-Graduate)	Member
7.	Controller of Examination	Member Secretary”.

9. In the said regulations, in regulation 16, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(1) The Hospital Management Committee shall be consist of the following members, namely:-

HOSPITAL MANAGEMENT COMMITTEE OF INSTITUTE		
1.	Director	Chairperson
2.	Medical Superintendent of the Institute	Member
3.	Deputy Medical Superintendent of the Institute	Member
4.	Head of every Clinical Department of the Institute	Member
5.	Resident Medical Officer of the Institute	Member Secretary”.

10. In the said regulations, for regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely:-

“17. **Search-cum-Selection Committee and Staff Selection Committees.**-(1) **Search-cum-Selection Committee for the post of Director, Institute of Teaching and Research in Ayurveda shall consist of the following persons, namely:-**

1.	Secretary, Ministry of Ayush, Government of India	Chairperson
2.	Special Secretary or Additional Secretary or Joint Secretary dealing with the Institute, Ministry of Ayush, Government of India	Member
3.	Two subject experts to be nominated by Secretary, Ministry of Ayush, Government of India	Member

(2) **Staff Selection Committee (for considering direct recruitment and Career Advancement Scheme promotion) for Group-‘A’, posts of Professor and Deputy Director shall consist of the following persons, namely:-**

1.	Secretary, Ministry of Ayush, Government of India	Chairperson
2.	Two experts to be nominated by Secretary, Ministry of Ayush, Government of India from renowned academicians of concerned subject	Member
3.	Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Class observer to be nominated by Government of India	Member
4.	Director, Institute of Teaching and Research in Ayurveda	Member Secretary

(3) **Staff Selection Committee (for considering direct recruitment and Career Advancement Scheme) for promotion of Group-‘A’, teaching and non-teaching post other than post specified in sub-regulation (2) shall consist of the following persons, namely:-**

1.	Director, Institute of Teaching and Research in Ayurveda.	Chairperson
2.	One expert to be nominated by Secretary, Ministry of Ayush, Government of India from renowned academicians of concerned subject	Member
3.	Advisor (Ayurveda), Ministry of Ayush, Government of India	Member
4.	Observer belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes nominated by the Government of India	Member
5.	Deputy Director (Post Graduate)	Member Secretary”.

11. In the said regulations, in regulation 18, for the opening portion, the following opening portion shall be substituted, namely:-

“The Director shall be the Head of the Department and shall exercise the powers and discharge the following duties, namely:-”.

12. In the said regulations, for regulation 30, the following regulation shall be substituted, namely:-

“30. Pension and Provident Fund.-Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 would be applicable.”.

13. In the said regulations, for regulation 34, the following regulation shall be substituted, namely:-

“34. Medical Facilities.-Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 would be applicable.”.

Prof. (Dr.) ANUP THAKAR, Director

[ADVT.-III/4/Exty./520/2023-24]

Notes – The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 dated 12th January, 2022 *vide* Notification No.L-12015/18/2021-AS dated 10th December, 2021.